

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज ।

23 एलनगंज, प्रयागराज – 211002

विज्ञापन संख्या 01 / 2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक

आनलाइन आवेदन (भाग-1) पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि	:	29.10.2020
आनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारम्भ तिथि	:	29.10.2020
आनलाइन आवेदन (भाग-1) पंजीकरण की अन्तिम तिथि	:	27.11.2020
आनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अन्तिम तिथि	:	27.11.2020
आनलाइन आवेदन (भाग-2) सबमिट करने की अन्तिम तिथि	:	30.11.2020

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01 / 2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12913 पदों के विषयवार, अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार (बालक/बालिका संस्था हेतु) रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या-01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आनलाइन आवेदन करने के सन्दर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें।

1. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 1(1). अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट (www.upsessb.org) पर आनलाइन आवेदन किया जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आनलाइन आवेदन भरने के लिये विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिये गये हैं।
- 1(2). विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।
- 1(3). प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक-पृथक आवेदन कर सकते हैं।
- 1(4). भाषा सम्बन्धी प्रश्नपत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिन्दी का प्रश्नपत्र हिन्दी में, संस्कृत का प्रश्नपत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्नपत्र अंग्रेजी में, तथा उर्दू का प्रश्नपत्र उर्दू में होगा।
- 1(5). अधिसूचना संख्या 607 / 15.05.2019-1604(30)-2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियानुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

- 1(6). अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अन्तिम तिथि को पद के लिये निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिये अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र आनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य/गलत पाये जाने या पद के लिये पात्रता मानदण्डों के विपरीत पाये जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 1(7). आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत क्वैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिये ही अनुमन्य है।
- 1(8). सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य के साथ सम्बद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में उ0प्र0 के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को सम्बन्धित सूचनायें आवेदन में देनी होंगी। ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जायेगा। तत्पश्चात् उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार अंक (वेटेज), इस अधिसूचना के पैरा 10 (भर्ती प्रक्रिया) के उपखण्ड (4) के अनुसार दिया जायेगा।
- 1(9). तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार (ट्रेजरी) द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 01/07/2020 तक के मध्य की जायेगी।
- 1(10). अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन, इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात्, आवेदन सबमिट करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2020 तक आनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जायेगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि (हार्ड कापी) चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।
- 1(11). आनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट करने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः सभी सूचनायें पूर्ण सावधानी से भरें एवं अन्तिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें।
- 1(12). लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है।
- 1(13). लिखित परीक्षा परिसर के अन्दर मोबाइल फोन, ब्लू टूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है एवं इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबन्ध सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 1(14). आनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नम्बर 0532-2466851 तथा +91-8299325775 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

2. आनलाइन आवेदन करने सम्बन्धी संक्षिप्त अनुदेश :-

आनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात् ही आवेदन करें। विज्ञापन से सम्बन्धित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, आनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें आदि महत्वपूर्ण सूचनायें चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, अभ्यर्थियों द्वारा इसका भी सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है।

आनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक **परीक्षा 2020 के लिये आनलाइन आवेदन** पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को **आल नोटिफिकेशन/एडवरटिजमेण्ट डीटेल्स** पृष्ठ के अन्तर्गत चयन बोर्ड से सम्बन्धित विज्ञापित नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन के सम्मुख तीन बटन उपलब्ध हैं— (1) यूजर इन्सट्रक्शन (अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन भरने सम्बन्धी दिशानिर्देश दिये गये हैं) (2) व्यू एडवरटिजमेण्ट (पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा) (3) अप्लाई (आवेदन हेतु अप्लाई पर क्लिक करना होगा)। आनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित 3 चरणों में किया जायेगा:—

- 2(1). कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ("Candidate Registration")
- 2(2). फीस का भुगतान ("Fee Payment")
- 2(3). फार्म सबमिशन ("Form Submission")

2(1). प्रथम चरण (कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन)–

अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक सवंग के अन्तर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे-स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची दर्शित होगी। विषय के सम्मुख **रजिस्ट्रेशन ("Registration")** पर क्लिक करने पर अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। सम्पूर्ण निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के सापेक्ष स्वीकृति ("**I Accept**") प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात् **कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फार्म ("Candidate Registration Form")** प्रदर्शित होगा।

- a. रजिस्ट्रेशन फार्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनायें यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग (जेण्डर), वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, क्षेत्रीय आरक्षण सम्बन्धी विवरण (स्व0 संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता, ई0डब्ल्यू0एस0 यदि हो तो उसका विवरण), श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण आदि अन्य प्रासंगिक सूचनायें भरनी होंगी।
- b. उक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान में उ0प्र0 के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक है तो उससे सम्बन्धित सूचनायें भरनी होंगी यथा तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का दिनांक, जनपद का नाम जहाँ विद्यालय स्थित है, विद्यालय का नाम, वेतन भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सम्बन्धित याचिका का विवरण (याचिका संख्या, याचिका वर्ष, मा0 उच्च न्यायालय का वेतन भुगतान आदेश दिनांक), तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये अनुमोदन का विवरण (पत्रांक संख्या, पत्र दिनांक तथा वेतन भुगतान होने का दिनांक)।
- c. तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार (ट्रेजरी) द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 01/07/2020 तक के मध्य की जायेगी।

- d. रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पश्चात् **वैलिडेट एण्ड प्रिव्यू (Validate & Preview)** पर क्लिक करना होगा। जिससे रजिस्ट्रेशन फार्म का प्रिव्यू दिखाई देगा किसी त्रुटि की दशा में उसमें सुधार करने हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म पर वापस जा सकते हैं। भरी गयी समस्त सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् **सबमिट एप्लीकेशन (Submit Application)** पर क्लिक करना होगा फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर **रजिस्ट्रेशन एक्नालेजमेण्ट स्लिप (Registration Acknowledgement Slip)** प्रदर्शित होगी, जिसमें 16 अंको के **पंजीकरण संख्या (कैन्डीडेट रजिस्ट्रेशन नम्बर)** सहित अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अन्य विवरण होंगे। प्रिन्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके उक्त का प्रिन्ट लिया जा सकेगा।

2(2). **द्वितीय चरण (शुल्क भुगतान)–**

द्वितीय चरण के अन्तर्गत अभ्यर्थी को उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन एक्नालेजमेण्ट स्लिप में **“क्लिक हियर टू प्रोसीड फार पेमेण्ट”** पर अथवा परीक्षा पोर्टल के उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेक्शन में फिलिंग आनलाइन एप्लीकेशन फार्म सेगमेण्ट के अन्तर्गत फी डेपोजिशन (Fee Deposition/Reconciliation) पर क्लिक करना होगा।

- a. उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे – (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.
- b. अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिये निर्देशों का पालन करते हुये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इण्टरनेट बैंकिंग या एस0बी0आई0 बैंक के ई-चालान के माध्यम में से किसी एक माध्यम द्वारा करेंगे। निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण ट्रान्जैक्शन आई. डी. (Transaction ID) सहित अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके मुद्रित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।
- c. प्राप्त ट्रान्जैक्शन आई.डी. (Transaction ID) का प्रयोग कर अभ्यर्थी फार्म का तीसरा भाग भर सकेंगे।

आवेदन शुल्क : श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:–

क्रम	श्रेणी	आवेदन शुल्क	आनलाइन प्रक्रिया शुल्क	कुल योग
1	अनारक्षित (सामान्य)	700.00	50.00	750.00
2	ई0डब्ल्यू0एस0	400.00	50.00	450.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	700.00	50.00	750.00
4	अनुसूचित जाति	400.00	50.00	450.00
5	अनुसूचित जनजाति	200.00	50.00	250.00
6	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित,	क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार		
7	भूतपूर्व सैनिक,	क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार		
8	महिला	क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार		
9	विकलांग	मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान		

- 2(3). तृतीय चरण (फार्म सबमिशन) – द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् तीसरे चरण में विशेष योग्यता सम्बन्धी अर्हताओं के विवरण तथा स्थाई पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को **सबमिट एप्लीकेशन फार्म (Submit Application Form)** पर क्लिक करना होगा।
- a. प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्मतिथि भरना होगा। इसके पश्चात् सबमिट एप्लीकेशन फार्म फार डायरेक्ट रिक्रूटमेण्ट फार्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टित समस्त सूचनायें दिखाई जायेंगी।
- b. इसी फार्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता सम्बन्धी अर्हताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थाई पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा तथा स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन्ड हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा।
- c. अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ (3.5 सेमी. चौड़ा तथा 4.5 सेमी. लम्बा) तथा हस्ताक्षर (3.5 सेमी. चौड़ा तथा 1.5 सेमी. लम्बा) *.jpg फारमैट में स्कैन करके अपलोड करना होगा। फोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किये हुये इमेज की साइज 5 Kb से 30 Kb के मध्य होनी चाहिये। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिये:–
- i. फोटो का आकार 35 मिमी. (1.4 इंच) X (1.75 इंच) का होना चाहिये।
- ii. फोटो के लगभग 70 प्रतिशत भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिये। फोटो बहुत दूर से खींची गई न हो। फोटो में चेहरा बहुत छोटा न हो।
- iii. चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिये। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिये।
- iv. चश्मा पहनने की दशा में आँखें साफ दिखनी चाहिये और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिये।
- v. चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखायी देने चाहिये।
- vi. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखे खुली, मुँह बन्द)। नजर कैमरे पर सीधी हो।
- vii. फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिये।
- d. तत्पश्चात् अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन में भरी गयी सूचनाओं के सत्यता की घोषणा (Declaration) करनी होगी। फार्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा, इसमें अभ्यर्थी द्वारा YES का चयन करने का तात्पर्य यह होगा कि अभ्यर्थी आवेदन में भरी गयी सूचनाओं और आँकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित कर रहा है साथ ही समस्त सूचनाओं के सत्य एवं प्रामाणिक होने की तस्दीक कर रहा है। तत्पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:– अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आनलाइन भरकर आवेदन फार्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अन्तिम तिथि तक सबमिट नहीं किये जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

3. रिक्त पद :-

उपर्युक्त विज्ञापन संख्या द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल 12913 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचनों का विषयवार, वर्गवार (बालक/बालिका), आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या-01 में विहित है। सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य के साथ सम्बद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में उ0प्र0 के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत् अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अध्याचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।

4. आयु सीमा:-

आयु 01 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न हो।

5. वेतनमान:-

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44900-142400, पे लेवेल 7, ग्रेड पे 4600

6. आरक्षण:-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आनलाइन अग्रसारित अध्याचनों के अनुसार है। जबकि क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले आरक्षित पदों (यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) की गणना प्राप्त अध्याचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। भूतपूर्व सैनिक के लिये 5 प्रतिशत, दिव्यांगजन के लिये 3 प्रतिशत (ओ0एच0, वी0एच0 तथा एच0एच0 प्रत्येक के लिये 1-1 प्रतिशत), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिये 2 प्रतिशत, तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) हेतु 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिये ही अनुमन्य है।

7. अर्हता की तिथि:-

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जायेगी।

8. शैक्षिक योग्यता:-

उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें (सारणी संख्या 02) के रूप में संलग्न है।

9. परीक्षा केन्द्र:-

सभी मण्डल के जनपद मुख्यालयों पर ही केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र समय सारिणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जायेगी।

नोट:- यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र से इतर केन्द्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. भर्ती प्रक्रिया:—

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15.05.2019-1604(30)-2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियानुसार होगा।

10(1). लिखित परीक्षा:— प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। प्रश्नपत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। **तदर्थ शिक्षकों के लिये लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा।**

10(2). समयावधि:—प्रश्नपत्र को हल करने की समयावधि दो घण्टे की होगी।

10(3). प्रश्न का स्वरूप:—सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ: Multiple choice question) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये चार विकल्प दिये रहेंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थियों को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तरपत्रक में काली स्याही के बाल पेन से काला करना होगा।

10(4). तदर्थ शिक्षक:— सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य के साथ सम्बद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को दिये जाने वाले अधिभार अंक (Weightage) की व्यवस्था निम्नवत् होगी:—

(a) तदर्थ शिक्षकों के लिये उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक (Weightage) दिया जायेगा। एक वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिये जायेंगे।

(b) तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाये गये प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिये कुल पूर्णांक 500 अंक (लिखित परीक्षा 465 अंक + अधिभार 35 अंक = 500 अंक) का होगा।

10(5). चयन हेतु मेरिट लिस्ट:—लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों (लिखित परीक्षा का प्राप्तांक + सेवा आधारित अधिभार अंक) के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम-12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) तैयार की जायेगी।

11. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश :-

- 11(1). प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हो या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।
- 11(2). कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। परन्तु संगीत विषय के लिये किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नहीं होगा।
- 11(3). किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी से स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
- 11(4). कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु यह बात संगीत विषय के लिये किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा।
- 11(5). महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिये पात्र है, परन्तु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग (बालक या बालिका) का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग (बालक/बालिका) में आवेदन मान्य होगा।
- 11(6). आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटो अवश्य लगायें।
- 11(7). प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिये मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा।
- 11(8). अभ्यर्थियों को पात्रता के सम्बन्ध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है, अतएव अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें।
- 11(9). अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हों, तभी आनलाइन आवेदन करें अन्यथा नहीं। किसी भी अन्य दशा में आवेदन शुल्क न तो लौटाया जायेगा और न ही अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जायेगा।
- 11(10). प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएँ अलग-अलग तिथियों में सम्पन्न होगी, पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं।
- 11(11). भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे जिस भाषा का प्रश्नपत्र होगा। यथा हिन्दी का हिन्दी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में तथा बांग्ला का बांग्ला में इत्यादि।
- 11(12). किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा।

नोट- परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय दी जाएगी।

12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-

- 12(1). किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर अथवा, किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयन बोर्ड की प्रश्नगत परीक्षा और अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।
- 12(2). कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
- 12(3). चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो चयन बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी और इस संबन्ध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- 12(4). चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 12(5). ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं, उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।
- 12(6). परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु सूचना ईमेल व एस.एम.एस के माध्यम से ही दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देना होगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 12(7). ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात् चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी की आरक्षण श्रेणी, उपश्रेणी(क्षैतिज आरक्षण श्रेणी), जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें चयन बोर्ड द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।
- 12(8). हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी, जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 12(9). आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 12(10). आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 12(11). निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

- 12(12). नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- 12(13). यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0532-2466851 तथा +91-8299325775 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 12(14). ऑनलाइन आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 27.11.2020 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 30.11.2020 है।

13. आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश:-

- 13(1). अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबन्ध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- 13(2). उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 13(3). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, तथा विकलांगजन जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 13(4). किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने वाले खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 13(5). ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल 2015, के साथ संलग्न प्रारूप पर हो।
- 13(6). ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो।
- 13(7). जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवामयोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर चयन बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परन्तु इस आधार पर विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(परीक्षा नियन्त्रक)
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।

परिशिष्ट - 8

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री निवासी-ग्राम/.....
तहसील नगर जिला.....
उ.प्र. राज्य की जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है) संविधान (अनुसूचित जनजाति, 30प्र०) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कु०..... तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के
ग्राम तहसील नगर जिला में
सामान्यतः रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट /
परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट
यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री निवासी-ग्राम/.....
तहसील नगर जिला.....
उ.प्र. राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ.प्र. लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र. लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख रु० या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा निहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कु. तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम
..... तहसील नगर जिला में
सामान्यतः रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट /
परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

उ० प्र० के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
Certificate No.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum. son/wife/daughter of Shri
age sex identification mark(s) is suffering from permanent disability of
following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

- (i) D-Deaf
 - (ii) PD-Partially Deaf
- (Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/ is recommended after a period of year months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Shri/Smt/Kum meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP- can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) KC- can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST- can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) RW- can perform work by reading and writing. | Yes/No |

(Dr.....)

Member
Medical Board

(Dr.....)

Member
Medical Board

(Dr.....)

Chairperson
Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/HQ Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.....
निवासी..... ग्राम तहसील
नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/ पौत्री अविवाहित उपरान्त 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता)
ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में 30प्र0 राज्य की टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल- कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

सारणी संख्या 01 (क)

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग

Sr	Subject	GEN	OBC	SC	ST	Total
1	हिंदी	1054	405	276	7	1742
2	गणित	1050	549	219	4	1822
3	गृह विज्ञान	333	166	106	6	611
4	उर्दू	32	24	9	0	65
5	English	913	445	226	3	1587
6	कला	339	222	146	3	710
7	सामाजिक विज्ञान	688	386	310	8	1392
8	सिलाई	12	4	3	0	19
9	संस्कृत	573	239	123	3	938
10	विज्ञान	984	486	259	12	1741
11	वाणिज्य	77	31	18	1	127
12	कृषि	84	60	39	1	184
13	शारीरिक शिक्षा	261	152	80	4	497
14	संगीत वादन	3	2	1	0	6
15	संगीत गायन	7	3	0	0	10
Total :		6410	3174	1815	52	11451

सारणी संख्या 01 (ख)

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग

Sr	Subject	GEN	OBC	SC	ST	Total
1	हिंदी	125	52	37	0	214
2	गणित	105	38	24	0	167
3	गृह विज्ञान	87	47	25	1	160
4	उर्दू	5	5	2	0	12
5	English	113	46	37	0	196
6	कला	51	24	28	0	103
7	सामाजिक विज्ञान	105	39	42	0	186
8	सिलाई	0	3	1	0	4
9	संस्कृत	64	21	11	1	97
10	विज्ञान	118	44	38	2	202
11	वाणिज्य	4	3	1	0	8
12	कृषि	0	0	1	0	1
13	शारीरिक शिक्षा	26	12	10	0	48
14	संगीत वादन	9	2	3	0	14
15	संगीत गायन	29	16	5	0	50
Total :		841	352	265	4	1462

सारणी संख्या 02

प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हतायें

(कक्षा:- 9-10 लिए अध्यापक हेतु)

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय-दो का प्ररिशिष्ट-क अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें।

क्रम0 सं0	विषय	अर्हता	अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता	वरीयमान / अधिमानी अर्हता
1.	हिन्दी	1. बी0ए0 हिन्दी एवं संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री। अथवा 2. बी0ए0 हिन्दी एवं संस्कृत विषय के सथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री।	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
2.	गणित	बी0ए0 अथवा बी0एस-सी0 गणित - प्रशिक्षित	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
3.	गृह विज्ञान	1. गृहविज्ञान या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक अथवा 2. गृहविज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का टी0सी0 अथवा 3. लेडी इरविन कालेज, दिल्ली का डिप्लोमा। टिप्पणी:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

4.	उर्दू	बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0 एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा।	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
5.	अंग्रेजी	1. बी0ए0 (अंग्रेजी साहित्य) सहित प्रशिक्षित अथवा 2. यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ—प्रशिक्षित	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
6.	संस्कृत	1. बी0ए0 संस्कृत सहित तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0 एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा 2. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एल0टी0 या बी0टी0 या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा।	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
7.	वाणिज्य	प्रशिक्षित बी0काम0	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
8.	कृषि	बी0एस0—सी0 (कृषि) प्रशिक्षित।	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

9.	कला	<p>1. राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स सर्टीफिकेट कहलाता था) अथवा,</p> <p>2. प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा,</p> <p>3. प्राविधिक कला के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता:— (क) ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बी0ए0 अथवा (ख) कला भवन, शान्ति-निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा (ग) राजकीय ड्राइंग और हैन्डीक्रैफ्ट सेन्टर, इलाहाबाद का सर्टीफिकेट अथवा (घ) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर्सशिप परीक्षा अथवा (ङ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा (च) बम्बई की इण्टरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अथवा (छ) बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा</p> <p>टिप्पणी:— (1) उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। परन्तु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है।</p> <p>बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।</p> <p>(2) उपर्युक्त (3) के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।</p> <p>नोट:— उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)</p>	<p>—</p> <p>बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र</p>
----	-----	--	--

10.	शारीरिक शिक्षा	<p>माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता; एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सी0पी0एड0 प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता।</p> <p>टिप्पणी:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)</p>	सी0पी0एड0 प्रमाण-पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण-पत्र अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
11.	सिलाई	<p>(क) (1) इण्टरमीडिएट सी0टी0 (इण्टरमीडिएट में सिलाई सहित अथवा सी0टी0 में सिलाई में विशेष योग्यता)</p> <p>(ख) हाईस्कूल तथा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन से डिप्लोमा अथवा 2. आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट, आर्य समाज रोड, लखनऊ से डिप्लोमा अथवा 3. सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात् दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा। <p>टिप्पणी:- (ख) के अन्तर्गत योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।</p>	-	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
12.	विज्ञान	भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बी0एस0-सी0 प्रशिक्षण वरीयमान	बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

13.	सामाजिक विज्ञान	<p>निम्नलिखित में किन्हीं दो विषयों के साथ बी0ए0 प्रशिक्षण सहित—</p> <p>(1) इतिहास (2) राजनीति शास्त्र (3) भूगोल (4) अर्थशास्त्र</p>	<p>बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य</p>	<p>बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र</p>
14.	<p>संगीत गायन एवं संगीत वादन</p>	<p>(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा 2. प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अथवा 3. गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा 4. माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा(संगीतरत्न) अथवा 5. शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा 6. इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा अथवा <p>(ख) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी0टी0 डिप्लोमा अथवा</p> <p>(ग) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल0टी0एम0डिप्लोमा। अथवा</p> <p>(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा, उपर्युक्त डिप्लोमा सम्पन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जायेंगे।</p> <p>नोट:— उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)</p>	<p>—</p>	<p>बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र</p>



नवल किशोर
(परीक्षा नियन्त्रक)
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।